



दूरभाष—2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभियान उ0प्र0 लखनऊ  
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ— 226001

पत्रांक:- 50 / 241 / NULM / तीन / 2001(SUH)Voll-II

दिनांक: 09/4/2015

सेवा में,

निदेशक,  
सी0एण्ड डी0एस0  
जल निगम, उ0प्र0  
लखनऊ

विषय : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश सं0—1514 / 69—1—2014—14(104) / 2013 दिनांक 11.08.2014 के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक 'शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत' निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. शासन द्वारा सी0एण्ड डी0एस0 के कार्यदायी संस्था नामित होने के बाद सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत मिशन के चयनित शहरों हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर राज्य परियोजना स्वीकृत रामिति से परियोजनाएं स्वीकृत करायी जा रही हैं। अधिन 60 परियोजनाओं पर स्वीकृत कतिपय शर्तों के साथ निर्गत की जा चुकी है।

3. उक्त परियोजनाओं की स्वीकृत इस निर्देश के साथ की गयी थी कि परियोजना विशेष हेतु लगायी गयी कतिपय शर्तों की अनुपालन आख्या तत्काल राज्य शहरी आजीविका मिशन उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी, जो कि अभी तक अप्राप्त है, जबकि अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं। राज्य परियोजना स्वीकृति रामिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गुरुत्व रूप से परियोजनाओं में निर्माण कार्य की समय सारणी एवं विस्तृत कार्ययोजना तथा वारचार्ट, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन व्यवस्था (आश्रय प्रबन्धन रामिति के गठन एवं उत्तरदायित्व, निर्मित होने वाले भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण, निर्माण के प्लान/नकशों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन, परियोजना स्थल के फोटोग्राफ, भूमि आवंटन एवं 05 वर्षों उपरान्त संचालन नगरीय निकायों द्वारा स्वयं के संसाधनों से कराये जाने के परियोजना विशेष में अपेक्षित प्रमाण पत्र आदि गाइड लाइन के परिपेक्ष्य में विस्तार से सी0एम0एम0यू0 / नगरीय निकायों के सहयोग से तैयार कराकर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत किया जाना है। गाइड लाइन के अनुसार डी0पी0आर0 में उक्त सभी सूचनाएं वरीयता क्रम में सम्मिलित कराया जाना अपरिहार्य है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी समय—समय पर एस0यू0एच0 डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में टिप्पणी की गयी है कि उक्त डी0पी0आर0 केवल टैक्निकल इस्टिमेट है। इस प्रकार यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. भारत सरकार के अनुसचिव के पत्र सं0—E-14013/1(27)/2013 USD FTS-10389 दिनांक 26.03.2015 के द्वारा दिनांक 23.01.2014 को स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में हड़को अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को प्रेषित टिप्पणी उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया गया है कि हड़को द्वारा की गई टिप्पणी के परिपेक्ष्य में अनुपालन आख्या निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रेषित की जाये। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।



राज्य नगरीय विकास अभियान उ0प्र0 लखनऊ  
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

5. उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा की जा रही है, जिसके फलस्वरूप यह आवश्यक है कि स्वीकृति के समय लगायी गयी शर्तों को परियोजनावार अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए। प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं0-55/2003 से आच्छादित है जिसके दृष्टिगत स्वीकृति परियोजनाओं में अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता किसी भी दशा में न किया जाये।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत स्वीकृति राभी परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ एवं एम0ओ0यू0 की प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप पर आख्या एवं अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15.04.2015 तक उपलब्ध करायी जाय। प्रकरण की गम्भीरता के स्वीकृति परियोजनाओं की अनुपालन आख्या एवं प्रगति आख्या तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्नक-यथोपरि

(शीलेन्द्र कुमार सिंह)

मिशन निदेशक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।

2. सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।

3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0।

4. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी डूडा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मऊ, हापुड़, बुलन्दशहर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, बदायूँ, मैनपुरी, खुर्जा (बुलन्दशहर), चन्दौसी (सम्मल), गोण्डा, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), शामली, महोबा, नवाबगंज (बाराबंकी), प्रतापगढ़, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, आजमगढ़, लोनी (गाजियाबाद), मन्झनपुर (कौशाम्बी), गौतमबुद्धनगर(दादरी), बलिया, विजनौर, गाजीपुर, खलीलाबाद (संत कबीर नगर), बांदा, कासगंज, अकबरपुर (कानपुर देहात), हाथरस एवं रॉबर्टसगंज (सोनभद्र) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कार्यदायी संस्था को अपेक्षित सहयोग प्रदान कर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें।

5. सहायक वेबमास्टर सूडा को इमेल से प्रेषण एवं सूडा वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शीलेन्द्र कुमार सिंह)

मिशन निदेशक